न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 09/2017 (2017/00027)

प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता :–

1. लाखाराम वल्द हिम्मताराम
2. घेवरराम वल्द गिरधारीराम
3. रतनाराम पुत्र रूपाराम

सभी जातियान देवासी, निवासी ग्राम धुन्धाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. वेनाराम पुत्र गीगाराम, कौम पटेल, निवासी गांव धुंधाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत धुन्धाडा ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत धुन्धाडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध मिसल संख्या 95/1985 पट्टा संख्या 95 बहक अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी करने की दिनांक शून्य प्रतिफल जमा करने की दिनांक 17.10.1985 जो कि ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा द्वारा जारी पट्टे को निरस्त करने बाबत्।

उपस्थिति :

1. अधिवक्ता श्री रामसुख शर्मा व राकेश शर्मा (प्रार्थीगण)।
2. अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार (अप्रार्थी संख्या 01)।

आदेश दिनांक :–16.11.2022

प्रार्थीगण ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 ग्राम पंचायत धुन्धाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख जिसके मिसल संख्या 95/1985 प्रतिफल जमा करने की दिनांक 17.10.1985 जारी किया गया, के विरूद्ध पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:47 IST
Reason: SelfAttested

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने वकालतनामा पेश किया गया। ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा से मूल अभिलेख तलब करने हेतु लिखा गया। ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा ने बतलाया कि निगरानीधीन पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख इस कार्यालय चार्ज लिस्ट अनुसार प्राप्त रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस दिनांक 01.11.2022 को सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया वह सार्वजनिक चौक की भूमि है। अप्रार्थी संख्या 01 ने कब्जा करने का प्रयास किया तब प्रार्थीगणों ने अप्रार्थी के विरूद्ध दिवानी वाद पेश किया जो विचाराधीन है। उक्त वाद के जवाब में अप्रार्थी ने उसके नाम पट्टा जारी होना बताया तो प्रार्थीगणों को उक्त पट्टे के बारे में जानकारी हुई। ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा में पट्टे से संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सरपंच के फर्जी हस्ताक्षर है तथा पट्टा विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना जारी किया गया है। अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने बतलाया कि पट्टा विधिवत् जारी किया गया है। जिसकी फोटो प्रति वह पेश कर रहा है। अप्रार्थी ने पट्टे वाली भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 14.03.2017 को श्रीमती पांचीदेवी पत्नी भंवरलाल ढोली निवासी धुन्धाड़ा के पक्ष में कर दिया है। जिसका भूमि पर कब्जा है। अप्रार्थी द्वारा बेचान की नकल पेश की गई। अप्रार्थी नं पत्रावली संख्या 95/1985 की फोटो प्रति भी पेश की तथा एक अन्य पट्टा जो पत्रावली संख्या 22/1983 में मांगीलाल पुत्र पीराराम एवं शान्तिलाल पुत्र मांगीलाल पटेल के नाम जारी किया गया की फोटोप्रति पेश कर बतलाया कि उस पट्टे पर भी सरपंच चन्द्राराम के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि सरपंच चन्द्राराम ही था। अप्रार्थी ने अन्त में बतलाया कि स्वयं प्रार्थीगण ही उक्त पट्टा संख्या 95 वाली भूमि का क्रय करना चाहते थे परन्तु अप्रार्थी ने उन्हें नहीं बेची। इस कारण प्रार्थीगण ने दुर्भावनावश यह निगरानी पेश की है।

अप्रार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्ध इसी वाली भूमि के संदर्भ में एक दिवानी वाद पेश किया जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया गया परन्तु प्रार्थीगण के पक्ष में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:47 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई एवं प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। उक्त दिवानी न्यायालय के आदेश की प्रति अप्रार्थी ने पेश की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक भूमि सार्वजनिक चौक होने का प्रश्न है प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये गए जो यह साबित करता हो कि भूमि सार्वजनिक चौक की है। अप्रार्थी द्वारा पट्टे की फोटोप्रति पेश की गई जिस पर सरपंच चन्द्राराम के हस्ताक्षर है इसके अलावा एक अन्य पट्टे की नकल पेश की गई जिस पर भी सरपंच चन्द्राराम के हस्ताक्षर है। इसी भूमि बाबत् अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दिवानी वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने संबंधी प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। अप्रार्थी द्वारा पट्टे वाली भूमि का आगे हस्तान्तरण भी कर दिया गया है। हस्तगत मामले में पट्टा सन् 1985 में जारी होना बताया। अप्रार्थी संख्या 02 ग्राम पंचायत ने वर्ष 1985 का रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः बिना रिकॉर्ड के आलौच्य पट्टा विधिक प्रक्रिया से जारी किया गया या नहीं, पट्टे का वैधानिक परीक्षण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश पत्रावली के सलंग्न हो। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत धुन्धाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 16.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:47 IST
Reason: SelfAttested